1

⑧

फार्म

अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 20

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-17 (31.12.16)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राजेश आर्य 2. वर्तमान धारित पद उपनिदेशक (लेखा) 3. कार्यालय का नाम कार्यपालक निदेशक (वित्त) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. ⑧

4. वर्तमान वेतन 20950+6600 5. भविष्य निधि क्रमांक 6.कर्मचारी संख्या 74444553

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
① पुष्प नगर अधारताल जबलपुर	1 हेब		20 लाख		HDFC Bank से लोन लिया है	24000/	—
② सुहागी अधारताल जबलपुर	1 हेब		20 लाख		LIC Housing finance से लोन लिया है		
③ ग्राम - सिराली जिला हरदा म.प्र.		14 एकड़ भूमि	80 लाख	पिताजी	पूर्वजों की सम्पत्ति पिताजी के नाम पर है		
④ ग्राम - छीपाबड़ जिला हरदा म.प्र.		5 एकड़ भूमि	30 लाख	माताजी	पूर्वजों की सम्पत्ति माताजी के नाम पर है		

हस्ताक्षर RB

नाम राजेश आर्य

पद उपनिदेशक लेखा

* जहां लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी– मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसकके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली याउसके अपने नाम पर याउसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरणदेवें।